बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
संकल्प

संख्या–वन्यप्राणी–02/2012 /प0व0, पटना–15, दिनांक–

विषयः– जंगली जानवरों द्वारा जान–माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितो को सहाय्य राशि भुगतान से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या–237, दिनांक–13.07.10 की कंडिका–3 में संशोधन।

राज्य में वनों के आस–पास रहने वाले मनुष्यों एवं पशुधन को जंगली जानवरो के द्वारा आकस्मिक रूप से पहुँचाये जाने वाले नुकसान की क्षतिपूर्त्ति के लिए विभागीय संकल्प संख्या–237 दिनांक–13.07.10 के द्वारा पीड़ितो को मुआवजा राशि भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त विभागीय संकल्प संख्या–237, दिनांक–13.07.10 की कंडिका–3 में वर्णित फसलों की बर्बादी की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया से पीड़ितो को मुआवजा की राशि प्राप्त होने में विलम्ब को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इस कंडिका को निम्नरूपेण संशोधित किए जाने का निर्णय लिया गया है:–

''फसल बर्बादी का सत्यापन अंचलाधिकारी द्वारा स्वंय अथवा अंचल निरीक्षक के माध्यम से किया जाएगा। अंचलाधिकारी की अनुशंसा प्राप्त होने पर संबंधित बन प्रमंडल पदाधिकारी, विहित प्रणाली से भुगतान करेंगे। फसल बर्बादी का आवेदन प्राप्त होने के (पन्द्रह) दिनों के अंदर अंचलाधिकारी सत्यापन प्रतिवेदन संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।''

2. उक्त विभागीय संकल्प की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रामावतार राम)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–वन्यप्राणी–02/2012 201 (2) /प0व0, पटना–15, दिनांक– 21.3.12

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा एवं हक) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रामावतार राम)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–वन्यप्राणी–02/2012 201(8) /प०व०, पटना–15, दिनांक– 21·3·12

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्यपाल के सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रामावतार राम)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–वन्यप्राणी–02/2012 /प०व०, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रामावतार राम)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–वन्यप्राणी–02/2012 /प०व०, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः–ई०–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सीडी एवं दो हार्ड कापी के साथ बिहार राजपत्र के अगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र की 500 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

(रामावतार राम)
सरकार के विशेष सचिव।